

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाध्यापक-मावि एवं समकक्ष का स्थानान्तरण/समायोजन कॉलम संख्या-05 में अंकित विद्यालय में प्रधानाध्यापक-मावि के पद एतद् द्वारा किया जाता है।

क्र.सं	नाम कार्मिक श्री/श्रीमती/सुश्री	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	नवीन पदस्थापन स्थान	जिला
1	2	3	4	5	6
1	RUDARAM	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL VIROL BADI (213694)	JALOR	GOVT. SECONDARY SCHOOL SIDDHESHWAR (400287)/(08180505001)	JALOR
2	RAMBHATERI DAGAR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHIRASAN CHIRAWA JHUNJHUN (215915)	JHUNJHUNUN	GOVT. SECONDARY SCHOOL PADAMPURA (215809)	JHUNJHUNUN
3	PARMA NAND SHARMA	GOVT. SECONDARY SCHOOL PADAMPURA (215809)	JHUNJHUNUN	GOVT. SECONDARY SCHOOL DEVLAWAS (215944), BUHANA (08050510901) (SURAJARH)	JHUNJHUNUN
4	NISHA SHARMA	GOVT. GIRLS SECONDARY SCHOOL KOTHUN (218273)	JAIPUR	GOVT. SECONDARY SCHOOL KARANGA BARA (213119), FATEHPUR (08130107001)	SIKAR
5	PRIYANKA SAWAMI	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL SYARI (218618)	JAIPUR	GOVT. SECONDARY SCHOOL MAZIPURA (489756), JAMWA RAMGARH (08120703501)	JAIPUR

संबंधित कार्मिक तत्काल शाला दर्पण के माध्यम से कार्यग्रहण/कार्यमुक्त होकर समस्त सूचना का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करावे। राजस्थान ग्रामीण स्वैच्छा सेवा से संबंधित स्थानान्तरित कार्मिकों को शहरी क्षेत्र के विद्यालय हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं किया जावे।


(सौरभ स्वामी)

I.A.S.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/बी-1/45001/प्रधानाध्यापक/स्थानान्तरण/2021 दिनांक:- 04.01.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
- 2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर ।
- 3 उप शासन सचिव, शिक्षा(गुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर ।
- 4 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ।
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 6 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
- 7 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय-माध्यमिक ।
- 8 सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
- 9 सहायक निदेशक, शाला दर्पण अनुभाग ।
- 10 सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्मिक
- 11 रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)